CAPSI: राष्ट्रीय सुरक्षा आपातकालीन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

CAPSI के अंतर्गत सभी निजी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कड़ाई से अनुपालन हेतु

विषय:
राष्ट्र पर बाहरी और आंतरिक खतरों के कारण उत्पन्न राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निजी सुरक्षा बलों की गतिशीलता और अनुपालन हेतु SOP

जारीकर्ता:
सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री (CAPSI)

पृष्ठभूमि:
पाकिस्तान के साथ सीमा पर हालिया तनाव, निर्दोष नागरिकों पर कायरतापूर्ण आतंकी हमले तथा सांप्रदायिक विभाजन को भड़काने के प्रयासों के चलते और स्लीपर सेल्स द्वारा आंतरिक विध्वंस की संभावित आशंका को देखते हुए, भारत एक दोहरे खतरे का सामना कर रहा है — बाहरी प्रतिरोध बनाए रखने तथा आंतरिक स्थिरता सुनिश्चित करना अति आवश्यक है । ऐसे समय में, जब हमारी वीर सेना बाहरी खतरों से निपटेगी, तो पीछे के इलाकों की सुरक्षा तथा मुख्य भूभाग की रक्षा स्लीपर सेल्स की सक्रियता, युद्ध प्रयासों में विघटन, सांप्रदायिक विभाजन के प्रसार, विध्वंस और झूठी अफवाहों द्वारा उत्पन्न आतंक से खतरे में पड़ सकती है।

निजी सुरक्षा क्षेत्र, जिसमें 1 करोड़ से अधिक प्रशिक्षित कर्मी कार्यरत हैं, भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे में एक स्थिर शक्ति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। CAPSI के राष्ट्रीय समन्वय के अंतर्गत यह SOP सुनिश्चित करता है कि सभी सुरक्षा एजेंसियां पेशेवर, कानूनी और राष्ट्रहित में कार्य करें तथा नागरिक और पुलिस प्रशासन का समर्थन करें।

SOP के उद्देश्य:

1. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सभी सुरक्षा एजेंसियों का एकरूप अनुपालन, तत्परता एवं समन्वय सुनिश्चित करना।
2. संवेदनशील स्थलों पर तैनात सभी निजी सुरक्षा कर्मियों के लिए आवश्यक कर्तव्यों और आचार संहिता को परिभाषित करना।
3. समन्वय को सुव्यवस्थित करना और निजी सुरक्षा कार्यों को सार्वजनिक कानून प्रवर्तन से जोड़ने के लिए रिपोर्टिंग, निगरानी और संचार प्रोटोकॉल स्थापित करना।

क्षेत्र और लागूता:

यह SOP अनिवार्य है:

- सभी CAPSI-संबद्ध निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए जो PSARA लाइसेंस के अंतर्गत कार्यरत हैं।
- शहरी, औद्योगिक, परिवहन, वाणिज्यिक एवं आवासीय क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा कर्मियों के लिए।
- आपातकालीन स्थिति में कार्यरत प्रशिक्षण केंद्रों, एजेंसी पर्यवेक्षकों एवं नियंत्रण कक्षों के लिए।

अनुपालन करने के लिय उठाए जाने वाले कदम:

1. तत्काल अनुपालन:
 - सभी सुरक्षा प्रबंधकों को सुरक्षा कर्मियों को स्थिति की जानकारी देकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश देने होंगे। यह निर्देश प्रतिदिन प्रातः रोल कॉल ब्रीफिंग का हिस्सा बनना चाहिए।
 - एजेंसी कार्यालय और सभी गार्ड डिप्लॉयमेंट स्थलों पर इस SOP की मुद्रित प्रति प्रदर्शित करनी होगी।
 - SOP जारी होने के 24 घंटे के भीतर पहचान पत्र और ड्यूटी रोस्टर का सत्यापन एवं अद्यतन करना होगा।

2. गार्ड तैनाती और ड्यूटी संवर्धन:
 - प्रमुख प्रतिष्ठानों (दूरसंचार, वित्त, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और सार्वजनिक स्थलों) पर डबल शिफ्ट या घूर्णन प्रणाली लागू की जाए।
 - सभी गार्डों को आगंतुक लॉगबुक संधारण करना अनिवार्य होगा, जहां संभव हो वहां पहचान पत्र स्कैन करना चाहिए। पर्यवेक्षक लॉगबुक की समीक्षा कर किसी भी अनियमितता की पहचान करेंगे।
 - सुनिश्चित करें कि टॉर्च, लाठी, चेतावनी सीटी और वॉकी-टॉकी कार्यशील हों।
 - आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र (QRT) का प्रतिदिन उच्च दृश्यता के साथ अभ्यास कराया जाए।

3. निगरानी एवं रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल:
 - कमजोर क्षेत्रों (बेसमेंट, छतें, परिधि, पिछले दरवाजे) की प्रतिघंटा दृश्य निगरानी करें।
 - निरंतर निगरानी के लिए CCTV जैसी तकनीक का उपयोग करें तथा उपकरणों की कार्यशीलता सुनिश्चित करें।
 - छोड़े गए वाहन, संदिग्ध वस्तु या ड्रोन के दर्शन होने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें।
 - प्रतिदिन निगरानी रिपोर्ट एजेंसी कंट्रोल रूम में जमा करें एवं अभिलेख संधारित करें।

4. सामुदायिक संपर्क एवं जन-जागरूकता:
 - आवासीय सोसायटियों और वाणिज्यिक ग्राहकों को उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रोटोकॉल की जानकारी दें और सुरक्षा का आश्वासन दें।
 - CAPSI द्वारा अनुमोदित संदिग्ध गतिविधि/सुरक्षा जागरूकता पोस्टर वितरित करें।
 - कर्फ्यू या आपात स्थिति में गार्ड बुजुर्गों अथवा कमजोर व्यक्तियों की सहायता करें।

5. स्थानीय प्राधिकरणों के साथ समन्वय:
 - निकटतम पुलिस थाने से समन्वय और संपर्क नेटवर्क स्थापित करें।
 - नोडल एजेंसी प्रतिनिधि स्थानीय पुलिस ब्रीफिंग में (प्रतिदिन या निर्देशानुसार) भाग लें।
 - संबंधित सुरक्षा प्रबंधकों/पर्यवेक्षकों के आपातकालीन संपर्क नंबर SHO/बीट कांस्टेबल के साथ साझा करें।
 - आवश्यकता पड़ने पर मॉक ड्रिल या संयुक्त गश्त में सहयोग करें।

6. प्रशिक्षण एवं आचरण मानक:

- सभी तैनात कर्मियों को 7 दिनों के भीतर 1 दिवसीय आपातकालीन पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (वर्चुअल या प्रत्यक्ष) पूरा करना अनिवार्य है।
- गार्ड्स की भूमिका को "आंख और कान" के रूप में सुदृढ़ किया जाए — वे प्रवर्तन अधिकारी नहीं हैं; निष्पक्षता एवं अनुशासन बनाए रखें।
- गार्ड्स किसी भी राजनीतिक चर्चा, सार्वजनिक बयान या अपुष्ट सूचना के प्रसार से बचें।

7. वर्दी, पहचान और प्रवेश नियंत्रण:

- कार्यकाल के दौरान उचित वर्दी, दृश्य पहचान पत्र एवं ड्यूटी स्लिप अनिवार्य है।
- कोई भी निजी गार्ड बिना लाइसेंस और स्थानीय कानून अनुमति के हथियार नहीं ले जाएगा।
- आगंतुक नियंत्रण प्रणाली को सख्ती से लागू करें — बिना वैध पहचान पत्र और रिकॉर्डिंग के प्रवेश वर्जित होगा।

8. आपातकालीन संचार:

- एजेंसी के भीतर 24x7 आपातकालीन नियंत्रण कक्ष स्थापित करें।
- प्राथमिकता पर घटनाओं की रिपोर्ट निम्नलिखित को करें:
- स्थानीय पुलिस थाना
- सुरक्षा एजेंसी आपातकालीन डेस्क

प्रभावी तिथि:
SOP के जारी होते ही तत्काल प्रभाव से लागू।

समीक्षा चक्र:
आपातकालीन अवधि के दौरान क्षेत्रीय अध्यायों के अंतर्गत साप्ताहिक समीक्षा।

वैधता:
CAPSI द्वारा अगली सूचना तक मान्य।

जारीकर्ता:

कुँवर ~~विक्रम~~ सिंह
राष्ट्रीय अध्यक्ष,

संपर्क: chairman@capsi.in | www.capsi.in